

फैक्स
एवं
ई-मेल

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञाप संख्या-जी०/बी०टी०-30-23/2017.....०५/जे०, पटना, दिनांक ०५-०१-१८

सेवा में,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
गया।

विषय:- मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघुशीर्ष-105-सिविल और सेशन न्यायालय, उपशीर्ष-0001-सिविल और सत्र न्यायालय के अन्तर्गत 0001. 11.01-यात्रा व्यय विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से व्यय हेतु मो० 5,00,000/- (पाँच लाख) रुपये का अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

प्रसंग:- पत्रांक-497/2017, दिनांक-13.12.2017

आदेश:- स्वीकृत।

2. व्यय का विकलन मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन-लघुशीर्ष-105-सिविल और सेशन न्यायालय, उप शीर्ष-0001-सिविल और सत्र न्यायालय के अन्तर्गत यात्रा व्यय विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2017-18 में होगा।

3. राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561वि०(2), दिनांक-17.4.1998 में दिये गये निर्देश के आलोक में दिया जाता है।

4. वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या-428/वि०, दिनांक-31.03.2017 के आलोक में उपबंधित राशि को नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

5. कृपया मासिक व्यय विवरणी शीघ्र भेजा जाय। लेखा सत्यापन हेतु ससमय विहित प्रपत्र में व्यय प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

7. इस शीर्ष की माँग संख्या-27 एवं विपत्र कोड-27-2014001050001 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी०/बी०टी०-30-23/2017.....०५/जे०, पटना, दिनांक ०५-०१-१८

प्रतिलिपि:-जिला कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी०/बी०टी०-30-23/2017.....०५/जे०, पटना, दिनांक ०५-०१-१८

प्रतिलिपि:-प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी०/बी०टी०-30-23/2017.....०५/जे०, पटना, दिनांक ०५-०१-१८

प्रतिलिपि:-विभागीय आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।